Sohan Singh and others *v.* The State of Haryana and another
(G. R. Majithia, J.)

न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया के समक्ष

सोहन सिंह और अन्य-याचिकाकर्ताओं,

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और-उत्तरदाता।

1990 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 9876

10जुलाई, 1990

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *226-पंजाब* सिविल *सेवा नियम, खंड I, भाग-* नियम *8.126 और* 8.23-इंजीनियरों *की* सेवा वर्ग II *लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1970-* नियम *16 (1)-जूनियर* इंजीनियरों *को* विशेष *डिग्री* पाठ्यक्रम *से गुजरने के लिए चुना गया-याचिकाकर्ताओं को देय* अवकाश *के प्रकार के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया-डिग्री प्राप्त करने में* व्यतीत की *गई अवधि-* कर्तव्य के रूप में नहीं गिना जाएगा *-वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित सेवा की शर्तें-रियायतों को 'अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है-उच्च योग्यता प्राप्त करना-याचिकाकर्ताओं को* नियम 16(1) के तहत उच्च वेतनमान वाली पदोन्नति का हकदार नहीं बनाता है ।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं ने सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसरण में विशेष डिग्री पाठ्यक्रम के लिए चयन के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत किए।उनकी संबंधित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनका चयन किया गया और उन्होंने उक्त पाठ्यक्रम पूरा किया।जिस नीतिगत निर्णय के तहत याचिकाकर्ताओं के नाम प्रायोजित किए गए थे, उसमें विशेष रूप से यह प्रावधान है कि जिन अधिकारियों का चयन किया गया था, वे पाठ्यक्रम में शामिल होंगे और उनके कारण देय छुट्टी पर चले जाएंगे। अब वे यह नहीं कह सकते कि जिस नीतिगत निर्णय के तहत उन्होंने लाभ उठाया है, उसे

अन्यथा पढ़ा जाना चाहिए।याचिकाकर्ता पूरी तरह से जानते थे कि उनके नाम तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित किए गए थे और उन्हें अपना खर्च स्वयं वहन करना था और उन्हें इस तरह की छुट्टी के लिए आवेदन करना था।"देय राशि की छुट्टी" का अर्थ वह छुट्टी है जो नियमों के तहत उन्हें स्वीकार्य है। याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत लाभ उठाया था और यह माना जाएगा कि उन्होंने नीतिगत निर्णय में निर्धारित नियमों और शर्तों पर लाभ उठाया था।उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उन्हें उस अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया जाना चाहिए जिसके लिए उन्होंने तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया था और इसे कर्तव्य अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।(पैरा 7)

अभिनिर्धारित किया गया कि *परिस्थितियों में कुछ लोगों को दी गई रियायत याचिकाकर्ताओं को अधिकार* के मामले *के रूप में दावा करने का अधिकार नहीं देगी। याचिकाकर्ताओं की सेवा* शर्तों को *वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित* किया जाता है। *अधिकार या विशेषाधिकार, यदि कोई हो, वैधानिक नियमों से याचिकाकर्ताओं को मिलते हैं, अन्यथा नहीं।*

(पैरा 8)

अभिनिर्धारित किया गया कि यह उचित सरकार को तय करना है कि क्या सेवा के दौरान उच्च योग्यता प्राप्त करने पर कोई अधिकारी उच्च वेतन का हकदार है जो सेवा में और उच्च योग्यता रखने वाले समान रूप से स्थित लोगों के लिए स्वीकार्य है। प्रस्तुतिकरण में कोई सार नहीं है।पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को इस कारण से भी खारिज किया जाना चाहिए कि पदोन्नति, यदि कोई हो, तो हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स श्रेणी II लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1970 के नियम 16 (1) के प्रावधानों के तहत की जानी चाहिए।

(पैरा 12 व 13)

भारत *के संविधान के* अनुच्छेद *226 के तहत लिखित याचिका में अनुरोध किया गया है कि इस माननीय न्यायालय* को -

(i) मामले *के रिकॉर्ड के लिए भेजें;*

(ii) *रिट याचिका की अपेक्षित प्रति के साथ प्रतिवादी को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना* देने से छूट*;*

(iii) अनुलग्नक *की मूल/प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने* से छूट देना*;*

(iv) याचिकाकर्ताओं *के पक्ष में इस रिट याचिका का खर्च अधिनिर्णय करने के लिए;*

(v) *आगे यह प्रार्थना की जाती* है कि -

(ए) *कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं को अध्ययन अवकाश* देने और *इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि को कर्तव्य पर होने के रूप में मानने का निर्देश देते हुए अनिवार्य या कोई उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;*

(बी*) पाठ्यक्रम की अवधि का पूरा वेतन* और *भत्ते जारी करना;*

(सी) एस.डी.ओ. *के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करना।*

(डी) *प्रोत्साहन के रूप में उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए उच्च वेतन आदि प्रदान करना;*

या

कोई अन्य आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय उपयुक्त और परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित किया जाए।

जे. एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथ याचिकाकर्ताओं के लिए विक्रांत शर्मा, अधिवक्ता, जसवंत चौहान, अधिवक्ता।

बी. एस. चौहान, अधिवक्ता, *प्रतिवादी की ओर से।*

आदेश

जी. *आर. मजीठिया, जे.*

(1) यह निर्णय 1988 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 9876 और 1989 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3748 का निपटारा करेगा क्योंकि निर्णय के लिए कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं।मैंने विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए 1988 के जी. डब्ल्यू. पी. सं. 9876 में दिए गए तथ्यों की ओर संकेत किया है।

(2) तथ्य - हरियाणा राज्य में तकनीकी शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र के प्राचार्य को हरियाणा राज्य के विभिन्न तकनीकी विभागों और अन्य संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत डिप्लोमा धारकों के लिए एक विशेष डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता, जो जूनियर इंजीनियर हैं, उन्हें 1982-83,1983-84 और 1984-85 में शुरू होने वाले विभिन्न बैचों में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए चुना गया था।उन्होंने उक्त पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में वापस शामिल हो गए हैं।उनका दावा है कि जिस अवधि के लिए वे तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम से गुजर रहे थे, उसे पूर्ण वेतन और भत्तों के साथ ड्यूटी के रूप में नहीं गिना जा रहा है और उन्हें उस अवधि के लिए नियमों के तहत स्वीकार्य वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो वे प्रायोजित थे और तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम से गुजरे थे।याचिका

में उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया है कि जो कर्मचारी उच्च शिक्षा के लिए गए थे, उनके साथ पूरे वेतन और भत्तों के साथ ड्यूटी पर व्यवहार किया गया था।

(3) इन परिसरों में इस न्यायालय से उत्तरदाताओं को तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि को पूर्ण वेतन और भत्ते के साथ ड्यूटी पर मानने के लिए आदेश मांगा जा रहा है।

(4) प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने उत्तर में कहा कि उन कर्मचारियों को उच्च तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था जो पहले से ही हरियाणा राज्य की सेवा में थे।प्रतिवादी संख्या 1 ने निर्णय लिया कि विशेष डिग्री पाठ्यक्रम के लिए चुने गए अधिकारी देय प्रकार की छुट्टी पर चले जाएंगे। नीतिगत निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने विशेष डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अपने नाम प्रायोजित करने का अनुरोध किया।पदोन्नति हेतु विचार के लिए याचिकाकर्ताओं का दावा। हरियाणा सेवा अभियंता वर्ग II, पी. डब्ल्यू. डी. (बी एंडआर) अस्वीकार कर दिया गया। इस बात से इनकार किया गया कि याचिकाकर्ता उक्त डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के लिए वेतन का दावा करने के हकदार थे। याचिकाकर्ता, सरकार के 10 जनवरी, 1983 के निर्देशों के मद्देनजर अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में व्यक्तिगत वेतन के लाभ के भी हकदार नहीं थे (कॉपी अनुलग्नक आर -2)। निर्धारण के लिए निम्नलिखित दो बिंदु सामने आते हैं:-

(i) क्या अध्ययन की गैर-मंजूरी उन याचिकाकर्ताओं को दी जाती है जिन्होंने नियमों के तहत परिकल्पित होने के बावजूद अपनी योग्यता में सुधार किया है; और

(ii) क्या याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि हरियाणा राज्य के जिन कर्मचारियों ने 1982 से पहले सेवा में रहते हुए अपनी योग्यता में सुधार किया था, उन्हें एक से चार तक की वृद्धि के रूप में व्यक्तिगत वेतन दिया गया था और याचिकाकर्ताओं को इस लाभ से वंचित कर दिया गया है।

(5) हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब सिविल सेवा नियम खंड I, भाग I (संक्षेप में नियम) का नियम 8.126, अध्ययन अवकाश के अनुदान से संबंधित है और निम्नानुसार हैः—■

"सरकारी कर्मचारियों को ऐसी शर्तों पर छुट्टी दी जा सकती है जो सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं ताकि उन्हें वैज्ञानिक, तकनीकी या समान समस्याओं का अध्ययन करने और निर्देशों के विशेष पाठ्यक्रम से गुजरने में सक्षम बनाया जा सके। ऐसी छुट्टी को छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जाता है।"

(6) नियमों के नियम 8.23 में उन अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया है जिनके द्वारा नियमों के तहत स्वीकार्य छुट्टी दी जानी है।

(7) इन्हें मात्र पढ़ने से पता चलता है कि एक सरकारी कर्मचारी को निर्देशों के विशेष पाठ्यक्रम से गुजरने और वैज्ञानिक, तकनीकी या इसी तरह की समस्याओं का अध्ययन करने में सक्षम बनाने के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। नियमों के तहत, सरकार के पास अध्ययन अवधि को कर्तव्य अवधि या अन्यथा मानने का पूर्णतः विवेकाधीनाधिकार है। नियम में आगे यह परिकल्पना की गई है कि अध्ययन अवकाश को अवकाश खाते से

डेबिट नहीं किया जाएगा। लेकिन, वर्तमान मामले में, हरियाणा राज्य ने एक सकारात्मक निर्णय लिया कि जिन अधिकारियों को क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र में विशेष डिग्री पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित किया गया है, वे उनके कारण छुट्टी पर चले जाएंगे। ज्ञापन संख्या 9-17-बी एंड आर (कार्य), 6-83, दिनांक फरवरी 14, 1985 में शामिल हरियाणा सरकार, पी.डब्ल्यू.डी., भवन और सड़क शाखा के आयुक्त और सचिव द्वारा सूचित निर्णय के अंग्रेजी संस्करण को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी होगा और इस प्रकार पढ़ता है: -

> 'विचार-विमर्श के बाद सरकार ने इस मामले में निम्नलिखित निर्णय लिया हैः–
>
> "कि जिन अधिकारियों को इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र में विशेष डिग्री पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित किया गया है, वे उनके कारण छुट्टी पर चले जाएंगे। जहां तक सीटों के उक्त पाठ्यक्रम/आरक्षण के लिए विभागीय उम्मीदवारों के बारे में सिफारिश करने के लिए मानदंड निर्धारित करने का सवाल है, इस संबंध में आवश्यक निर्णय संयुक्त बैठक में अलग से लिया जाएगा और इस आशय की जानकारी आपको जल्द ही भेजी जाएगी।माननीय मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है।"

नीतिगत निर्णय जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के नाम प्रायोजित किए गए थे, विशेष रूप से यह प्रदान करता है कि जिन अधिकारियों का चयन किया गया था वे पाठ्यक्रम में शामिल होंगे और उनके कारण छुट्टी पर चले जाएंगे। अब वे यह नहीं कह सकते कि जिस नीतिगत निर्णय के तहत उन्होंने लाभ उठाया है, उसे अन्यथा पढ़ा जाना

चाहिए।अन्यथा भी, उनके नाम प्रायोजित करते समय, अनुच्छेद 2 में प्रतिवादी संख्या 2 ने विशेष रूप से निम्नानुसार कहा है: -

> "आवेदकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे अपना खर्च वहन करेंगे और वे प्रवेश प्राप्त करने पर नियमों के अनुसार छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। "आवेदकों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे अपना खर्च वहन करेंगे और प्रवेश मिलने पर नियमानुसार छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। याचिकाकर्ताओं को पूरी तरह से पता था कि उनका नाम तीन साल के डिग्री पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित किया गया था और उन्हें अपना खर्च खुद वहन करना था और उन्हें अपने देय अवकाश के लिए आवेदन करना था। "देय राशि की छुट्टी" का अर्थ वह छुट्टी है जो नियमों के तहत उन्हें स्वीकार्य है। मैंने विभाग के रिकॉर्ड की जांच की है और पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को वास्तव में इस तरह की छुट्टी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत लाभ उठाया था और यह माना जाएगा कि उन्होंने नीतिगत निर्णय में निर्धारित नियमों और शर्तों पर लाभ उठाया था। उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि उन्हें उस अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया जाना चाहिए जिसके लिए उन्होंने तीन साल का डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया था और इसे कर्तव्य अवधि के रूप में माना जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. वैधानिक नियमों के निर्माण से यह पता नहीं चलता कि किस बात पर जोर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का पहला

निवेदन निरस्त किया जाता है।

(8) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का दूसरा निवेदन यह है कि हरियाणा राज्य के अन्य विभागों में कुछ कर्मचारियों को उच्च अध्ययन के लिए भेजा गया था और उनके द्वारा पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बिताई गई अवधि को कर्तव्य अवधि माना गया था और याचिकाकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था। उसी प्रकार भेदभाव के बराबर है। परिस्थितियों के एक समूह पर कुछ लोगों को दी गई रियायत याचिकाकर्ताओं को अधिकार के मामले के रूप में दावा करने का अधिकार नहीं देगी। याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों को वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। अधिकार या विशेषाधिकार, यदि कोई हो, याचिकाकर्ताओं को वैधानिक नियमों से प्राप्त होते हैं और अन्यथा नहीं।

(9) इसी तरह, सेवा के दौरान अपनी योग्यता में सुधार करने वाले कुछ कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने से याचिकाकर्ताओं को अधिकार के रूप में दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा।

(10) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि नंबर 1 ने मेमो नंबर 9-17 बी एंड आर (वर्क्स), 6-83, दिनांक 14 फरवरी, 1985 में निहित नीतिगत निर्णय लिया, जिसका आशय यह था कि जो अधिकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरूक्षेत्र में विशेष डिग्री पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित हैं, याचिकाकर्ताओं के पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद, उन्हें देय अवकाश पर जाना होगा। कार्यकारी आदेश को पूर्वव्यापी रूप से याचिकाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए पारित नहीं किया जा सकता है।

(11) विविद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुत करना असमर्थनीय

है।याचिकाकर्ताओं को विशेष डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने वाले आदेश में, यह विशेष रूप से कहा गया था कि उनके अध्ययन के दौरान, याचिकाकर्ता उन्हें देय छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे।याचिकाकर्ता उस आदेश के आधार पर पाठ्यक्रम में शामिल

हुए। उन्होंने अपने देय प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जिसे मंजूरी दे दी गई।याचिकाकर्ताओं के लिए यह आग्रह करने की अनुमति नहीं है कि पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद उनके हितों के प्रतिकूल कोई भी कार्यकारी आदेश पारित किया गया था। यह आदेश कि वे अपने देय प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे, तब पारित किया गया था जब उन्हें पाठ्यक्रम के लिए चुना गया था।मामले की परिस्थितियों में नीतिगत निर्णय केवल स्पष्टीकरणात्मक होता है।

(12) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने उच्च योग्यता प्राप्त कर ली है, इसलिए वे उन कर्मचारियों के लिए अनुमेय वेतन के हकदार हैं जिनके पास डिग्री योग्यता है।इस निवेदन को उजागर करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सेवा में शामिल होने के समय याचिकाकर्ता केवल डिप्लोमा धारक थे।इसके बाद, उन्होंने अपनी योग्यता में सुधार किया और वे उस ग्रेड के हकदार हैं जो डिग्री योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के लिए अनुमेय था।मुझे डर है कि इस मामले को इन कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता। यह तय करना उचित सरकार का काम है कि है कि क्या सेवा के दौरान उच्च योग्यता प्राप्त करने वाला कोई अधिकारी उच्च वेतन का हकदार है जैसा कि सेवा में और उच्च योग्यता रखने वाले पद पर कार्यरत लोगों के लिए स्वीकार्य है। प्रस्तुतिकरण में कोई सार नहीं है।

(13) जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों को वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है और अधिकार या विशेषाधिकार, यदि कोई हो, इन नियमों से प्रवाहित होते हैं।पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को इस कारण से भी खारिज किया

जाना चाहिए कि पदोन्नति, यदि कोई हो, तो हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स श्रेणी II लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1970 के नियम 16 (1) के प्रावधानों के तहत की जानी चाहिए।

(14) इन रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है।वही खारिज कर दिए जाते हैं। हालाँकि, मामले की परिस्थितियों में, पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

पी.सी.जी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा